

19.7.19

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 26.7.19 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी मांडल

26-7-19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित, वकील
वादिया तहसीलदार मांडल से प्राप्त विभाजन स्कीम
के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की
ईस्तदुआ-चाबी।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राप्त विभाजन
स्कीम पर मनन किया। न्यायहित से प्राप्त विभाजन
स्कीम के अनुसार वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया
जाकर डिप्टी बक्स वादिया विरुद्ध प्रतिवादिगण संख्या
01 से 04 के इस आशय की जारी की जाती है कि
ग्राम चांदरास परवार ठेका-चांदरास तहसील-मांडल
जिला-भीलवाड़ा में स्थित निम्नोक्ति आराजियात
विभाजन अनुसार वादिया ऐप प्रतिवादिगण संख्या
01 से 04 के माम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड
में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी
अनुसार अग्नि वादिया-ऐप प्रतिवादिगण संख्या 01 से
04 के माम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज
की जावे।

1. श्रीमती केशर मल्ली श्री कालु अर्जुन सा-देह खातेदार

आराजी नं.	रकबा
550	0.08
540/1	0.02
कुलकिता 02 रकबा	0.10 बीघा

2. श्री लखीलाल, गोविंद पिता रामलाल सुनार, गीता लाली पुत्री
श्री रामलाल सुनार सा-देह खातेदार

आराजी नं.	रकबा
540	0.10
कुलकिता 01 रकबा	0.10 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारी
अहकाम जो इ
हुकम की तामी
में जारी हुए

उक्तनुसार भूमि वादिया एंव प्रतिवादिगाण सं० ०१ से
०५ के माम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।
बर्च्य फेरिकेम अपना-अपना वहज करे। तदनुसार
डिक्ली जारी हो।
पगावली फैसल सुमार होकर दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मजम

जम

ज्या

०

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९